अधिसूचना

नई दिल्ली,12 नवम्बर, 2018

का.आ. 5676(अ).—केन्द्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट करती है, कि उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, नई दिल्ली की न्यायपीठ उक्त अधिनियम के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग जम्मू और कश्मीर राज्य को छोडकर संपूर्ण भारत पर करेगी ।

यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं. 80/2018/फा.सं. 370149/194/2017-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)